अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

गुमान वगैरह बनाम अनिल कुमार जैन वगैरह ।
किस्म मुकदमा–225 राज.काश्तकारी अधिनियम
अपील संख्या 24/2023 (अजमेर)

रिमान्ड 17/01/23

	श्री मौहम्मद इकबाल एडवोकेट	
11.01.2023	गुमान बनाम अनिल कुमार जैन (2023/24) यह अपील श्री मौहम्मद इकबाल एडवोकेट ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 19/2020 में पारित आदेश दिनांक 25.06.2020 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसमे समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 12.01.2023 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
12.01.2023	पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्रों पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र हेतु रिजर्व रखी जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
17.01.2023	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अपीलांट के द्वारा अपीलाधीन आराजीयात के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। जिसमें अपीलांट ने समस्त तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के दस्तावेजी साक्ष्यों एवं शपथ पत्रों पर विश्वास नहीं कर आदेश दिनांक 25.06.2020 पारित कर दिया। जिसके पश्चात् नियमित रूप से अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पर सुनवाई हेतु निवेदन करता रहा परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई।जिससे अपीलांट के द्वारा दिनांक 02.01.2023 को समस्त आदेशिका की नकल प्राप्त की गई और नकल दिनांक 05.01.2023 को प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत करने के अतिरिक्त विकल्प शेष नहीं रह जाने से अपील प्रस्तुत कीगई है। अपील प्रस्तुती में लगा समय सद्भाविक है जिसे ख्झमा कर अपील का निर्णय मेरिट पर किया जाना न्यायाचित है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाकर मेरिट पर आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हम प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित देरी के कारण संतोषजनक एवं सद्भाविक होने के कारण न्यायहित में प्रार्थना	

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

गुमान वगैरह बनाम अनिल कुमार जैन वगैरह ।
किस्म मुकदमा–225 राज.काश्तकारी अधिनियम
अपील संख्या 24/2023 (अजमेर)

पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस स्थगन प्रार्थना पत्र में बताया कि अपीलांट अपीलाधीन आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जो कि राजस्व रकार्ड में दर्ज इन्द्राज से स्पष्ट है तथा अपीलांट की बहस एवं प्रस्तुत दस्तोवजो पर किसी प्रकार का गौर किए बिना आदेश अन्तर्गत अपील दिनांक 25.06.2020 पारित कर दिया गया। जिसका लाभ उठाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी की जा रही है और अपीलांट को आर्थिक क्षति पहुॅचने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें यदि रेस्पोडेन्ट अपने कृत्य में सफल हो गया तो अपीलांट के अपील प्रस्तुत करने का सार ही समाप्त हो जावेगा और अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपीलांट को होने वाली क्षति की पूर्ति किसी भी सूरत में संभव नहीं होगी। प्रकरण में अपूर्णीय क्षति, सुविधा का सन्तुलन एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में निहित करते है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र सगिन स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी नम्बर हाल 279, 282, 314, 369, 269/5621 कुल किता 5 कुल रकबा 0.81 है0 के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 25.06.2020 से आज दिनांक तक निस्तारण नहीं किया है,प्रकरण को बिना विधिक कार्यवाही के विचाराधीन रखा गया है, जो विधि सम्मत नही हैं क्योंकि विवादित आराजी वादीगण/प्रार्थीगण के पिता की आराजीयात है, प्रकरण लंबित रहने से तथा प्रकरण का निस्तारण नहीं होने से अपूर्णीय क्षति प्रार्थी/अपीलांट को होती है। मान्नीय राजस्व उच्च न्यायालय एवं मान्नीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने अनेको निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है कि यह न्याय का मूल मंत्र है कि विवाद वस्तु को विवाद के अंतिम निस्तारण तक सुरक्षित रखा जाना होता है जैसा कि 2016 आर.बी.जे. पेज 360, 2016 आर.बी.जे.पेज 468, 2019 आर.बी.जे. पेज 129 आदि पर सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। चुॅकि प्रकरण का अंतिम निस्तारण तो उपखण्ड अधिकारी,अजमेर के द्वारा किया जाना है इसलिए न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें, तक तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण संख्या 19/2020 बउनवान गुमान बनाम अनिल कुमार जैन में अंकित विवादित आराजी के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे। प्रार्थी/अपीलांट को पाबंद किया जाता है कि वे शेष अप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड एड़ी से पेश करने हेतु पाबंद किया जाता है। पक्षकारान को

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

गुमान वगैरह बनाम अनिल कुमार जैन वगैरह ।
किस्म मुकदमा—225 राज.काश्तकारी अधिनियम
अपील संख्या 24 / 2023 (अजमेर)

मौत्म्यार इज्वाल

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अजमेर के समक्ष दिनांक 06.02.2023 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

Scanned with CamScanner